प्रथम अपील/स्पीड पोस्ट

संख्या 40-14/2013/एनडीएम-I(भाग)

भारत सरकार/गृह मंत्रालय

आपदा प्रबंधन - I अनुभाग

***

'सी' विंग, तीसरी मंजिल, एनडीसीसी-II भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-11 001

दिनांक : 28 मई, 2014

सेवा में,

श्री अजेंद्र अजय
मकान नं.15 बी, लेन नं.1, शास्त्री नगर
देहरादून-248 001

2 9 MAY 2014

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रथम अपील संबंधी सूचना उपलबध कराने के बारे में |

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय के दिनांक 21.05.14 के पत्र संख्या ए-43020/01/2014-आरटीआई का अवलोकन करें | उक्त पत्र की प्रति इस अनुभाग को अंतरित करते हुए सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है | संदर्भित पत्र दिनांक 23.05.2014 को इस अनुभाग में प्राप्त हुआ है |

II. आपके द्वारा मांगी गई सूचना का मदवार विवरण निम्नलिखत है :-

मद सं. 2 : आपको दिनांक 21/24.03.14 को स्पीड पोस्ट से पत्र का उत्तर भेजा गया था लेकिन पत्र दिनांक 15.4.14 को डाक विभाग द्वारा अनुभाग को इस अभ्युक्ति के साथ लौटाया गया है कि "पूछताछ की गई, अंकित पते पर इस नाम का व्यक्ति नहीं है, वापस" | (पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है)

मद सं. 3 : राज्य आपदा राहत निधि/राष्ट्रीय आपदा राहत निधि के मानदंड गृह मंत्रालय

द्वारा वित्त मंत्रालय के परामर्श के उपरांत तय किए जाते हैं | सामान्यत: मानदंडों में कोई भी संशोधन, उच्च स्तरीय समिति जिसमें माननीय कृषि मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, के अनुमोदन के उपरांत लागू होते हैं |

राज्य आपदा राहत निधि/राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से मदद क्षतिग्रस्त संपत्ति एवं भवन के अविलंब मरम्मत हेतु दी जाती है | राज्य आपदा राहत निधि/राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से सहायता हेतु बिल्डिंग को एक इकाई माना जाता है |

मद सं. 4 से 7 का संबंध उत्तराखंड सरकार से संबंधित है |

भवदीय,

जी.वी.वी. शर्मा

संलग्न : यथोक्त

(जी.वी.वी. शर्मा)
अपीलीय अधिकारी
फोन नं. 2343 8087

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. श्री एस. सामंत अवर सचिव (आरटीआई) गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110 001 को उपरोक्त पत्र के संदर्भ में |

PB-3/14

PB-6/14

2. अनुभाग अधिकारी, आई.टी. गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली से इस अनुरोध के साथ कि इसे वेबसाइट (आरटीआई संबंधी पेज) पर डलवा दें |

इरफान
28/5/14

(आई. ए. खान)
(I. A. KHAN)
सहायक निदेशक
Asstt. Director
गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

Sl. No. 86(R)

RTI MATTER/TIME BOUND

R.No. 281503/JS(DM) 23/05/2014

No. A- 43020/ 01 /2014-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
*****

New Delhi, Dated the 21st May, 2014.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: 1st Appeal under Section 19 (1) of the Right to Information Act, 2005 filed by Shri Ajendra Ajay.

****

The undersigned is directed to refer to the 1st Appeal dated 12/05/2014 (received on 16/05/2014) filed by Shri Ajendra Ajay with reference to his RTI application dated 28/02/2014.

2. Since the application dated 28/02/2014 of Shri Ajendra Ajay was forwarded to the Disaster Management Division of this Ministry vide RTI Section's O.M dated 12/03/2014 (copy enclosed), the 1st Appeal is being forwarded to the Appellate Authority of that Division for taking necessary action.

Encl: As above.

23/5 DM-I

(S. Samanta)
Under Secretary to the Govt. of India.

To

Joint Secretary (DM),
Ministry of Home Affairs
NDCC-II Building
New Delhi.

AD(DM) 23/5

Copy for information to:

Shri Ajendra Ajay,
15-B, Lane No. 01
Shastri Nagar
Dehradun – 248 001
UTTARAKHAND.

C - 278313/JS(A)14

2916

सेवा में,

अपीलीय अधिकारी 16/5/14

आपदा प्रबंधन प्रभाग

गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली।

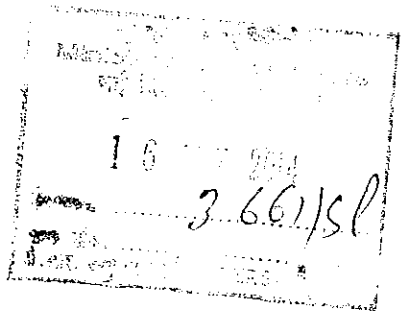

1 6 2014

3.661/SL

2. अपीलीय अधिकारी/ उप सचिव

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास

उत्तराखंड सचिवालय, सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार के तहत प्रथम अपील किये जाने विषयक।

कृपया, सहायक लोक सूचना अधिकारी, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास अनुभाग, उत्तराखंड के पत्र संख्या- 72/XVIII-(2)/G/14-10(40)/2014, दिनांक 28 अप्रैल 2014 का अवलोकन करने का कष्ट करें (संलग्नक-1), जिसमें उन्होंने अवगत कराया है की केंद्रीय जन सूचना अधिकारी/ उप सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग-1, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से उनके कार्यालय को मेरा अनुरोध पत्र (संलग्नक-2) बिंदु संख्या 03, 04 एवं 05 की सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु अंतरित किया गया है।

2. इस सन्दर्भ में अवगत करना है की मुझे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/ उप सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग-1, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली के स्तर से अभी तक किसी भी प्रकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और न ही प्रश्नों के अस्वीकरण के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त हुई है।

3. ऐसा आभास होता है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/ उप सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग-1, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने मेरे आवेदन का ठीक से अवलोकन भी नहीं किया और अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए पत्र को उत्तराखंड शासन को अंतरित कर दिया। उदाहरणार्थ- मेरे पत्र के बिंदु संख्या- 4 में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भवनों के मुआवजा तय करने के मानक का आधार पूछा गया था। सर्वविदित है की मानक तय करने का काम केंद्रीय गृह मंत्रालय का है। लिहाजा, इस प्रश्न का उत्तर गृह मंत्रालय से ही अपेक्षित था, किन्तु केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने इस प्रश्न को भी उत्तराखंड शासन को अंतरित कर दिया।

4. मेरे पत्र के विंदु संख्या-3 के उत्तर में सहायक लोक सूचना अधिकारी, आपदा प्रवंधन एवं पुनर्वास अनुभाग, उत्तराखंड ने अवगत कराया है कि मेरे द्वारा चाही गयी सूचना प्रश्न रूप में है और सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के प्राविधानुसार प्रश्नों का उत्तर दिए जाने की व्यवस्था नहीं है।

5. सहायक लोक सूचना अधिकारी, आपदा प्रवंधन एवं पुनर्वास अनुभाग, उत्तराखंड का उक्त तर्क पूर्णत: अनुचित है। सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अध्याय-1 में "सूचना" की परिभाषा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि- " 'सूचना' से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आकड़ों सम्बन्धी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से सम्बंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुँच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है; "

6. सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-9 में और भी स्पष्ट किया गया है कि- " किसी सूचना को साधारणतया उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे माँगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो"।

7. मेरे द्वारा मांगी गई विंदु संख्या- 04 की जानकारी भी अपूर्ण है। सहायक लोक सूचना अधिकारी, आपदा प्रवंधन एवं पुनर्वास अनुभाग, उत्तराखंड ने मेरे प्रश्न के उत्तर में जून 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री जी को प्रेपित एक पत्र की फोटो कॉपी मात्र मुझे भेजी है। प्रदेश सरकार द्वारा क्या प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया, इसकी प्रतिलिपि भी नहीं उपलब्ध करायी गई।

अत: उक्तक्रम में अपने स्तर से वांछित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगें।

संलग्न-यथोपरि

12-05-14

(अजेन्द्र अजय)

15- बी , लेन न.- 01 शास्त्री नगर

देहरादून, उत्तराखंड-248001